

संदर्भ संख्या 663- /एसआईडीसी/ आईए/ Policy Vol. -12 दिनांक: 14-6-17
666


—:कार्यालय आदेश:—

निदेशक मण्डल की दिनांक 29.5.2017 को सम्पन्न हुयी 295वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में आदेशित किया जाता है कि औद्योगिक भूखण्डों के प्रकरण में वर्तमान में उपलब्ध सुविधा जिसके अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के पश्चात देय अवशेष आरक्षण धनराशि के अधिकतम 01 प्रतिशत तक कम भुगतान प्राप्त होने पर भी उसे गुण-दोष के आधार पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वीकार किये जाने का प्राविधान है, को एकल आवासीय भूखण्डों के प्रकरण में भी यथावत लागू किया जाए।


(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 663-66 एसआईडीसी-आईए- Policy Vol. 12 दि० 14-6-17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
3. श्री विनोद कुमार, प्रबन्धक, कम्प्यूटर अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेशों को तत्काल निगम की वेब साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि० लि०, मुख्यालय, कानपुर।


(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

9
66